

५६

5-12-19 पत्रावली भेजा है। वकील शायी उपरोक्त टी. 310 पत्र पर जदस सुनी गई, पत्रावली का उपलोक्य क्रिया एवं जदस पर मनब कर शायी का 310 पत्र सिद्ध नहीं है होने से टी. 310 पत्र खासिज क्रियाकार विस्तृत आदेशा पृथक से टंकित करामा-नाकर शामिल पत्रावली क्रिया गया। पत्रावली केसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से काम हो। आदेश रहले न्यायालय में सुनाया गया।

9-2, 80,000-86.

KW
उपसुण्ड अधिकारी
सांगर लेक

